संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश
ग–खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल – 462004
☎ – (0755) 2551199, 2552003
फैक्स – 0755–2551387

क्र.प्राविवि/स.वि.स–11/संविसं/2014/4834 भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2014

तत्काल/महत्वपूर्ण/समय–सीमा

प्रति,
1. **संभागायुक्त** (समस्त), मध्य प्रदेश
2. **कलेक्टर** (समस्त), मध्य प्रदेश
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** (समस्त), जिला पंचायत, मध्य प्रदेश
4. **आयुक्त** (समस्त), नगर निगम, मध्य प्रदेश
5. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** (समस्त), नगर पालिका/नगर पंचायत, मध्य प्रदेश
6. **राज्य स्तरीय प्रमुख**, समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश
7. **राज्य स्तरीय प्रमुख**, समस्त निजी क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश
8. **अध्यक्ष**, समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश
9. **प्रबंध संचालक**, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
10. **अग्रणी जिला प्रबंधक** (समस्त), मध्य प्रदेश

विषयः– प्रधान मंत्री जन धन योजना (सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन कार्यक्रम) का क्रियान्वयन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने बाबत्।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र (1) क्र.प्राविवि/स.वि.स–11/संविसं/2014/3845 दि. 11.08.2014, (2) क्र.प्राविवि/स.वि.स–11/संविसं/2014/3973 दि. 21.08.2014, (3) क्र.प्राविवि/स.वि.स–11/संविसं/2014/4166 दि. 06.09.2014, (4) क्र.प्राविवि/स.वि.स–11/संविसं/2014/4595 दि. 21.10.2014, (5) क्र.प्राविवि/स.वि.स–11/संविसं/ 2014/4734 दि. 03.11.2014 (6) क्र.प्राविवि/स.वि.स–11/संविसं/ 2014/4762 दि. 10.11.2014 एवं (7) क्र.प्राविवि/स.वि.स–11/संविसं/ 2014/4762 दि. 11.11.2014।

=0=

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रधान मंत्री जन धन योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इस विषय पर आज दिनांक 18–11–2014 को बैंकों के राज्य स्तरीय प्रमुख से चर्चा हुई। चर्चा में लिये गये निर्णयानुसार इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न बैंकों के राज्य स्तरीय प्रमुख/उप राज्य स्तरीय प्रमुख/अधीनस्थ क्षेत्रीय प्रबंधक/उच्च अधिकारियों दिनांक 30 नवम्बर 2014 तक **प्रत्येक बैंक को संलग्न सूची अनुसार आवंटित जिले** का प्रवास कर समीक्षा की जाना अपेक्षित है। प्रवास पर जाने वाले अधिकारियों द्वारा एस0एस0ए0 तथा वार्ड में बैंक शाखाओं द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु की जा रही कार्यवाही का स्थल निरीक्षण/भ्रमण किया जाये जिससे कि योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न हो रही कठिनाईयों का समाधान किया जाये। इस हेतु निम्नानुसार लेख है किः–

1. **प्रवास कार्यक्रम की सूचना–** राज्य स्तर/रीजन से जिले में प्रवास पर जाने वाले वरिष्ठतम् अधिकारी के नाम, पदनाम की जानकारी एवं प्रवास कार्यक्रम की जानकारी संचालनालय संस्थागत वित्त, संबंधित जिले के कलेक्टर, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति तथा अग्रणी जिला प्रबंधक को दी जाये जिससे कि जिला स्तर पर डी0एल0सी0सी0 की बैठक आयोजित कर प्रगति की समीक्षा की जाये। साथ ही जिला स्तर पर कठिनाईयों का समाधान करने के प्रयास किये जायें।

2. <u>एस0एस0ए0 का प्रवास प्रतिवेदन–</u> इस पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार जिले आवंटित किये गये है। संबंधित बैंक के अधिकारी द्वारा आवंटित जिले के 2–3 एस0एस0ए0 का भ्रमण किया जाये। सामान्यतः, भ्रमण हेतु चिन्हित एस0एस0ए0 किसी अन्य के बैंक के हों। उक्त भ्रमण कार्यक्रम दिनांक 30 नवम्बर, 2014 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। सामान्यतः यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि एस0एस0ए0 का चिन्हांकन इस प्रकार से किया जाये कि किसी एक एस0एस0ए0 में शतप्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया हो तथा किसी अन्य एस0एस0ए0 में कार्य प्रगति पर हो। एस0एस0ए0 प्रवास का प्रतिवेदन तत्काल ई0मेल से <u>प्रपत्र–ए एवं बी</u> में उपलब्ध कराया जाये। उक्त प्रपत्र इस संचालनालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

3. <u>वार्ड का प्रवास प्रतिवेदन–</u> संबंधित बैंक के अधिकारी द्वारा आवंटित जिले के 2–3 वार्ड का भ्रमण किया जाये। भ्रमण हेतु चिन्हित वार्ड स्वयं के बैंक को आवंटित नहीं हों तथा किसी अन्य बैंक को आवंटित हों। उक्त भ्रमण कार्यक्रम दिनांक 30 नवम्बर, 2014 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। सामान्यतः यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वार्ड का चिन्हांकन इस प्रकार से किया जाये कि किसी एक वार्ड में शतप्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया हो तथा किसी अन्य वार्ड में कार्य प्रगति पर हो। वार्ड प्रवास का प्रतिवेदन तत्काल ई0मेल से <u>प्रपत्र–सी</u> में उपलब्ध कराया जाये। उक्त प्रपत्र इस संचालनालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

4. यदि किसी जिले में वहां के समस्त परिवारों के खाते खोले जाने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है तो ऐसे जिले के लगभग 10–20 परिवारों से चर्चा कर उनका फीडबेक लिया जाये जिससे कि योजना के कियान्वयन में उत्पन्न कमियों को दूर करने के प्रयास किये जा सके।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करने का कष्ट।

<u>संलग्नः–उक्तानुसार।</u>

(विवेक अग्रवाल)
मिशन डायरेक्टर
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त

पृ.क.प्राविवि/स.वि.स–11/संविसं/2014/4835 भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2014

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नईदिल्ली की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
5. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
7. मुख्य महाप्रबंधक ,नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
8. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश, भोपाल।
9. अग्रणी जिला प्रबंधक (समस्त), मध्य प्रदेश

मिशन डायरेक्टर
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त